

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/विकास-16386/2026-1762/50010 पटना, दिनांक- 21 सितम्बर, 2026

आदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश-240 स्वी०/CC दिनांक-08.07.2026 द्वारा स्वीकृत गन्ना यंत्रिकरण योजना 2026-27 के अंतर्गत किसान समूह के लिए निम्नतम 07 (सात) यंत्रों का चयन करना अनिवार्य किया गया है। किसान समूह के लिए आवेदन दिनांक-01.08.2026 से लिये जा रहे हैं जिसके विश्लेषण से पता चलता है कि आवेदकों के द्वारा गन्ना प्लांटिंग से संबंधित कोई भी यंत्र का चयन नहीं किया गया है। जिससे गन्ना की खेती (प्लांटिंग) से संबंधित यंत्रों का बढ़ावा नहीं हो पा रहा है।

अतः समूह के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि गन्ना की खेती (प्लांटिंग) से संबंधित यंत्र यथा - Tractor operated Trencher (Two Row), Trench Planter (Cutter Type), Double Pit Digger, Sugarcane Cutter Planter (Two Row), Tractor Operated Rota/Disc Ridger, Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer, में से कम से कम एक यंत्र का चुनाव किया जाना अनिवार्य किया जाता है।

उक्त संबंध में किसान समूह के लिए पूर्व में प्राप्त आवेदनों के आवेदकों को दिनांक-21.09.2026 से 25.09.2026 तक सुधार करने हेतु SuMech Portal खोला जायेगा। आवेदक उपर्युक्त दिये गये गन्ना की खेती (प्लांटिंग) से संबंधित यंत्रों में से कम से कम एक यंत्र का चयन कर आवेदन में सुधार कर सकते हैं अन्यथा परमिट निर्गत करने की प्रक्रिया में ऐसे आवेदनों को शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1762/50010 पटना, दिनांक- 21 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-महालेखाकार कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज /बेतिया /मोतीहारी /सीतामढ़ी/
सिवान/समस्तीपुर/ भागलपुर/ पूर्णियाँ/ गया (गयाजी)/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/
सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1762/50010 पटना, दिनांक- 21 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

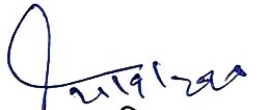
(2)

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1762/50610 पटना, दिनांक- 21 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि-सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1762/50610 पटना, दिनांक- 21 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।